भारत सरकार
गृह मंत्रालय
राज्य सभा
तारांकित प्रश्न संख्या *96
दिनांक 04 दिसम्बर, 2024 / 13 अग्रहायण, 1946 (शक) को उत्तर के लिए

राज्यों में अग्निशमन सेवाओं के विस्तार और आधुनिकीकरण की योजना

***96 श्री बृज लालः**

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राज्यों में अग्निशमन सेवाओं के विस्तार और आधुनिकीकरण योजना के अंतर्गत आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए सरकार द्वारा क्या महत्वपूर्ण पहल की गई है; और

(ख) इसके लिए कितनी धनराशि आबंटित की गई है ?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री नित्यानंद राय)

(क) से (ख): एक विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

राज्य सभा तारांकित प्रश्न सं. *96, दिनांक 04.12.2024

दिनांक 04.12.2024 को राज्य सभा में उत्तर के लिए
तारांकित प्रश्न संख्या *96 के भाग (क) से (ख) के संबंध में विवरण।

अग्निशमन सेवाएं राज्य का विषय है और इसे भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 (ब) के तहत बारहवीं अनुसूची में निगम कार्यों के रूप में शामिल किया गया है। यह राज्य सरकारों की प्राथमिक जिम्मेदारी है कि वे अपने क्षेत्राधिकारों में अग्निशमन सेवाओं को मजबूत और सुसज्जित करने के लिए आवश्यक उपाय करें । राज्यों में अग्निशमन सेवाओं के विस्तार और आधुनिकीकरण की आवश्यकता को पहचानते हुए, पंद्रहवें वित्त आयोग ने राज्य स्तर पर अग्निशमन सेवाओं को मजबूत करने के लिए 5000 करोड़ रुपये के प्रावधान की सिफारिश की। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय आपदा मोचन कोष (एनडीआरएफ) के तहत तैयारी और क्षमता निर्माण फंडिंग विंडो से 5000 करोड़ रुपये के कुल केंद्रीय परिव्यय के साथ राज्यों में अग्निशमन सेवाओं को मजबूत करने के लिए दिनांक 4 जुलाई 2023 को "राज्यों में अग्निशमन सेवाओं के विस्तार और आधुनिकीकरण के लिए योजना" शुरू की है। विस्तृत योजना https://www.mha.gov.in/en/commoncontent/policies-guidelines पर उपलब्ध है।
योजना के तहत, संबंधित राज्य सरकारों को अपने संबंधित राज्यों के संसाधनों से परियोजनाओं/प्रस्तावों की कुल लागत का 25% (उत्तर-पूर्वी और हिमालयी (एनईएच) राज्यों को छोड़कर, जो 10% योगदान देंगे) योगदान करना होगा।
योजना के तहत, राज्यों को अपने-अपने राज्यों में अग्निशमन सेवाओं को मजबूत करने के लिए निम्नलिखित गतिविधियाँ करने की अनुमति है।

(i) नए फायर स्टेशनों की स्थापना, राज्य प्रशिक्षण केंद्रों को मजबूत करना और आग से बचाव के उपायों, जागरूकता कार्यक्रम, फायरफाइटर, स्वयंसेवकों और समुदाय की क्षमता निर्माण द्वारा अग्निशमन सेवाओं का विस्तार। इस गतिविधि के लिए 35% निधि आवंटित की गई है। जिसमें से 5% क्षमता निर्माण के लिए है।

(ii) आधुनिक अग्निशमन उपकरणों की खरीद और राज्य मुख्यालयों और शहरी अग्निशमन स्टेशनों को मजबूत करके अग्निशमन सेवाओं का आधुनिकीकरण। खरीदे जाने वाले उपकरणों में हाइड्रोलिक प्लेटफॉर्म, टर्नटेबल सीढ़ी सहित अन्य शामिल हैं, जैसा कि 4 जुलाई, 2023 की योजना दिशानिर्देशों के साथ राज्यों को प्रसारित सांकेतिक सूची में दिया गया है। अग्निशमन सेवाओं के आधुनिकीकरण के लिए 50% निधि आवंटित की गई है।

राज्य सभा तारांकित प्रश्न सं. *96, दिनांक 04.12.2024

(iii) किसी भी राज्य विशिष्ट मांग के लिए भी प्रावधान किया गया है, जिसके तहत न केवल राज्य अतिरिक्त वित्तीय सहायता की आवश्यकता वाली अपनी चल रही परियोजनाओं को टॉप-अप करने के लिए अपनी मांग उठा सकते हैं, बल्कि राज्यों की विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उन्हें लचीलापन भी दिया गया है। निधि का 15% राज्य विशिष्ट मांग के लिए आवंटित किया गया है।

(iv) योजना के तहत 5000 करोड़ रुपये की कुल आवंटित निधि में से 500 करोड़ रुपये की राशि राज्यों को उनके कानूनी और बुनियादी ढांचे - आधारित सुधारों के आधार पर प्रोत्साहित करने के लिए भी रखी गई है।

अब तक, योजना के अंतर्गत वित्तीय सहायता के लिए गृह मंत्रालय द्वारा अठारह (18) राज्यों के प्रस्तावों को मंजूरी दे दी गई है। राज्यों को आवंटित धनराशि और योजना के तहत अनुमोदित परियोजनाओं का राज्य-वार विवरण अनुलग्नक- । पर है।

राज्य सभा तारांकित प्रश्न सं. *96, दिनांक 04.12.2024

अनुलग्नक-I

अग्निशमन सेवाओं के विस्तार और आधुनिकीकरण की योजना के तहत राज्यों को आवंटित धनराशि का राज्य-वार विवरण

करोड़ रु. में

क्र. सं.	राज्यों की सूची	केंद्रीय हिस्सा	राज्य का हिस्सा	कुल आवंटन	स्वीकृत योजना का परिव्यय
1	आंध्र प्रदेश	189.7	63.23	252.93	252.86
2	अरुणाचल प्रदेश	57.57	6.39	63.96	
3	असम	96.73	10.74	107.47	107.47
4	बिहार	255.69	85.23	340.92	
5	छत्तीसगढ	110.82	36.94	147.76	147.745
6	गोवा	31.63	10.54	42.17	
7	गुजरात	254.27	84.75	339.02	
8	हरियाणा	87.48	29.16	116.64	
9	हिमाचल प्रदेश	58.8	6.53	65.33	65.33
10	झारखंड	111	37.00	148.00	
11	कर्नाटक	247.42	82.47	329.90	329.90
12	केरल	122.41	40.80	163.21	
13	मध्य प्रदेश	298.15	99.38	397.54	
14	महाराष्ट्र	461.61	153.87	615.48	
15	मणिपुर	40.5	4.50	45.00	45.00
16	मेघालय	39.94	4.43	44.37	44.37
17	मिजोरम	36	4.00	40.00	40.00
18	नागालैंड	36.05	4.00	40.05	40.05
19	ओडिशा	150.83	50.27	201.10	200.384
20	पंजाब	98.67	32.89	131.56	131.56
21	राजस्थान	293.73	97.91	391.64	
22	सिक्किम	29.03	3.22	32.25	32.25
23	तमिलनाडु	280	93.33	373.33	373.27
24	तेलंगाना	142.61	47.53	190.14	190.14
25	त्रिपुरा	38.15	4.23	42.38	42.36
26	उत्तर प्रदेश	577.43	192.47	769.90	768.67
27	उत्तराखंड	71.03	7.89	78.92	78.89
28	पश्चिम बंगाल	282.57	94.19	376.76	376.76

***